कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल
website : www.mppwd.nic.in email : pwdbhop@mp.nic.in
Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

क्रमांक / संचार / 14 कुज़ 2 / 12-13 / 21421 भोपाल दिनांक 26-7-2012

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
परिक्षेत्र .... (म.प्र.)

समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मण्डल .... (म.प्र.)

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
संभाग .... (म.प्र.)

विषय :- सड़क निर्माण के लिए मिट्टी प्राप्त करने हेतु बारो पिट्स के संबंध में।

******

कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि सड़क निर्माण हेतु सड़क के किनारे से मिट्टी खोदकर इम्बेकमेंट के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जाती है तथा बारो पिट्स से मिटटी प्राप्त करने के संबंध में एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच के स्पेशिफिकेशन ऑफ रोड़ एवं ब्रिज वर्कस फोर्थ रिवीजन के क्लॉज 305.2.2.2 में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नही की जा रही है, यह स्थिति ठीक नही है। बारो पिट्स से मिट्टी प्राप्त कर इम्बेकमेंट के निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है –

1. एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच के स्पेशिफिकेशन ऑफ रोड़ एवं ब्रिज वर्कस फोर्थ रिवीजन के क्लॉज 305.2.2.2 में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाये।
2. बारो पिट्स की लोकेशन, लंबाई, चौड़ाई, गहराई एवं आकार की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुमोदित की जाये। बारो पिट्स की स्वीकृति देने से पहले आवश्यक परीक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये की प्राप्त होने वाली मिट्टी एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच के स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हो।
3. रोड़ साईड पर बारो पिट्स लगाने की प्रवृति को हतोत्साहित किया जाये। यदि कार्यपालन यंत्री द्वारा रोड़ साईड पर बारो पिट्स लगाने की अनुमति दी जाती है तो निम्न शर्तो का अनिवार्यतः पालन किया जाये।

ate Total
970

अ. बारो पिट्स लगातार एक लंबाई में न लगाया जाये तथा किसी भी स्थिति में इनकी लंबाई 300 मीटर से अधिक न हो ।

ब. बारो पिट्स के मध्य रिज की चौड़ाई कम से कम 8 मीटर होना चाहिए तथा इनमें पानी निकासी के लिए छोटी नालियां बनाना चाहिए ।

स. बारो पिट्स की गहराई इस तरह रखना चाहिए की बारो पिट्स का तल सड़क की टो–लाईन से बनाई गई 1:4 (1 व्ही से 4 एच) की काल्पनिक स्लोप में नही आना चाहिए।

द. किसी भी परिस्थिति में बारो पिट्स की गहराई 1.5 मीटर से अधिक नही होना चाहिए।

इ. इम्बेकमेंट की टो–लाईन से बारो पिट्स की दूरी 10 मीटर से कम नही होना चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं समस्त मैदानी अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराया जाये तथा निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्रमुख अभियन्ता,
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र./सं./ [illegible] / 12-13. भोपाल दिनांक :

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल।

प्रमुख अभियन्ता,
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)